
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)



सं. 436] No. 436] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 1999/आषाढ़ 22, 1921 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1999/ASADHA 22, 1921

जल, भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1999

का. आ. 579(अ).— गोदी कामगार इरोजगार का विनियमन अधिनियम 1948 ११९ 48 का १६ की धारा 5 ए की उपधारा १३६ तथा १५६ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए और भारत तरकार, जल भूतन परिवहन मंत्रालय की अधित्वना सं का आ-१४७ १अ६ दिनांक 1.12.1995 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र तरकार स्तद्दारा निम्नलिखित व्यक्तियाँ को उक्त धारा 5ए की उपधारा ११६ के तहत गठित कांडना गोदी श्रामिक बोर्ड के तदस्यों के रूप में निमुक्त करती है, अर्थात:—

केन्द्र तरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तदस्य

- अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, कांडला
- 2. श्री वी.के.अगुवाल, डैस्क अधिकारी, जल भूतल गरिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- उ. उपाध्यम, कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला
- 4. यातायात प्रबंधक, कांडला बल्तन न्यात, कांडला
- 5. तहाबक आयुक्त १ स्ल १, गुजरात तरकार, गांधीधान

गोदी कामगारों का वृतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1.

2•

3.

4- श्री एम. जे. विल्ली

5. श्री टी.षी.लालचंदानी

चरिवहन और गोदी कामगार यूनियन,
 कांडला वत्तन के प्रतिनिधि

कांडला बत्तन कर्मचारी लंघ के प्रतिनिधि कांडला बत्तान रवंगोदी कर्मचारी सूनियन के प्रतिनिधि

गोदी कामगारों और नौवहन कंपनियों के नियोक्ताओं का मृतिनिधित्व करने वाले तदस्य

। श्री एन सी नेहता

2. श्री मकीरचंद बंतन

श्री मोहन स्म. करिका

4. कैप्टन के.बी. अगुवाल

5. संबुक्त प्रबंधक ह्यी ओहू, एक सी आई कंडला स्टीवडोर संघ के प्रतिनिधि

कांडना बत्तन स्टीम् शिष स्पेंटत स्ती तिस्शन के प्रतिनिधि

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक तैय के प्रतिनिधि भारतीय साध निगम के प्रतिनिधि

- 2. केन्द्र तरकार स्त्रद्धारा कांडला पत्तन न्यात, कांडला के अध्यक्ष को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।
- * बूटियन ते इस संबंध में तिफारिश न मिलने के कारण परिवहन और गोदी कामगार बूनियन की तीन सीटें रिक्त रखी गई हैं।

[फा. सं. एल बी-13014/3/98-यू एस(एल)] के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1999

s.o. 579(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 947 (E) dated 1st December 1995, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of the Kandla Dock Labour Board established under sub-section (1) of the said Section 5A, namely:-

Members representing the Central Government

- 1. Chairman, Kandla Port Trust, Kandla.
- Sh. V.K. Aggarwal, Desk Officer, Ministry of Surface Transport, New Delhi.
- 3. Dy. Chairman, Kandla Dock labour Board, Kandla.
- 4. Traffic Manager, Kandla Port Trust, Kandla.
- 5. Asstt. Commissioner (L), Government of Gujarat, Gandhidham.

Members representing the Dock Workers

1. ļ 2. 1 *Representatives of Transport & Dock! Workers Union, Kandla Port. ! 3. 4. Sh. M.J. Pillai Representative of Kandla Port Karamchari Sangh. Sh. T.P. Lalchandani -5. Representative of Kandla Port & Dock Employees Union.

Members representing the Employers of Dock Workers & Shipping Companies

- 1. Sh. N.C. Mehta! Representatives of Kandla Stevedores
- 2. Sh. Fakirchand Bansal! Association.

- 3. Sh. Mohan M. Karia Representative of Kandla Port Steamship Agents Association.
- 4. Capt. K. B. Aggarwal Representative of Indian National.
 Ship-owners Association.
- 5. Joint Manager (PO), FCI Representative of Food Corporation of India.
- 2 The Central Government hereby nominate the Chairman, Kandla Port Trust, Kandla, as the Chairman of the said Board.
 - * Three seats of Transport & Dock Workers Union have been kept vacant in the absence of the recommendation in this regard from the union.

[F. No. LB-13014/3/98-US(L)] K. R. BHATI, Jt. Secy.